

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

क्रमांक रीडर/2025/ 5039

पीठासीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

दिनांक - 05/06/2025

प्रार्थीगण
1 डुंगराराम 2
चोलाराम पिसरान
नन्दाराम जाति जाट
निवासी पूनियों की
बस्ती आदर्श चवा
तहसील बाड़मेर
ग्रामीण जिला बाड़मेर।

बनाम


अप्रार्थीगण

1 रूखमों पत्नी मगा 2 हरजी 3 पीरा पिसरान तुलछा 4
पुरखाराम 5 प्रहलादराम 6 खुमाराम 7 सिमरथाराम पिसरान
मगा 8 रायमल पुत्र केशरा 9 सुगनी देवी पुत्री रामा 10 हतु
देवी पत्नी रामाराम 11 मानी देवी पत्नी देवाराम 12 नगाराम
13 जोगाराम 14 देदाराम 15 बाबूलाल पिसरान देवाराम 16
चैनाराम 17 भारूराम 18 लिखमाराम पिसरान पदमाराम 19
कंवराराम 20 गोरधनराम पिसरान मूलाराम 21 भगी पत्नि
मूलाराम 22 सुनीता पुत्री मूलाराम 23 चनणाराम पुत्र
गुणेशाराम 24 खेमाराम पुत्र हीराराम 25 राजों पत्नि हीराराम
जातियान जाट निवासी पूनियों की बस्ती, आदर्श चवा 26
मूलाराम पुत्र नरसिंगाराम 27 आसूराम 28 नगाराम 29
पूनमाराम 30 विशनाराम पिसरान टीकमाराम जातियान जाट
निवासी पूनियों की बस्ती, आदर्श चवा तहसील बाड़मेर
ग्रामीण जिला बाड़मेर 31 तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण व
जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 491/2024 दिनांक-

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा पूनियों की बस्ती पटवार क्षेत्र आदर्श चवा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 1169/774 रकबा 12.8609 हैक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(वीरमा राम)


उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

दिनांक- 05/06/2025

क्रमांक :- रीडर/2025/ 5040-5643

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी आदर्श चवा तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण डुंगराराम पुत्र नन्दाराम जाति जाट निवासी पूनियों की बस्ती आदर्श चवा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण रूखमों पत्नी मगा वगैराह जातियान जाट निवासी पूनियों की बस्ती, आदर्श चवा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर